राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

कमांकः–ई–33/रेडियो/एम–59/10/465 दिनांकः– 27-7-10

आदेश

उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के कमांक अराज /सामान्य/09 दिनांक 6.8.09 एवं वित्त (व्यय–1) विभाग के आई0डी0 संख्या 130902638 दिनांक 4.8.2009 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के 30 पदों को भरने की सहमति के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु निदेशालय के कमाकः–ई–33/सीधी भर्ती/रेडियो/09/840 दिनांक 6.10.09 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को वरियता के आधार पर निदेशालय के कमांक ई–33/रेडियो/एम–59/नियुक्ति/2010/440 दिनांक 7.7.10 के द्वारा चयनित किया गया है, को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7900/– पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता है । दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200–20200 का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी ।

क0 सं0	आवेदक का नाम /पिता,पति का नाम		जन्मतिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरूष	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री राकेश कुमार शर्मा/ श्री मोहन लाल शर्मा	जयपुर	5.4.89	Gen	पुरूष	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह जिला टोंक
2	श्री जहिर अब्बास अंसारी/ श्री अब्दुल हमीद अंसारी	कोटा	25.12.83	OBC	पुरूष	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बारां
3	श्री खेम चन्द्र यादव/ श्री हनुमान सहाय यादव	जयपुर	10.8.87	OBC	पुरूष	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरनोद जिला चित्तौडगढ
4	श्री नन्दलाल कुमावत/ श्री जगदीश प्रसाद कुमावत	सीकर	10.6.85	OBC	पुरूष	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चूरू
5	सुश्री आशा चौधरी/ श्री मदन लाल चौधरी	अलवर	29.1.86	OBC	स्त्री	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बी0डी0एम0 चिकित्सालय कोटपुतली जिला जयपुर
6	रेखा कुमारी वर्मा/ श्री गंगाधर वर्मा	कोटा	9.7.88	SC	स्त्री	जे0के0 लॉन चिकित्सालय कोटा

7	श्री देवेन्द्र कुमार रैगर/ श्री कैलाश रैगर	भीलवाड़ा	13.11.86	SC	पुरूष	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भदेसर जिला चित्तौडगढ
8	श्री राकेश कुमार मीणा/ श्री नन्दलाल मीणा	बारां	7.6.81	ST	पुरूष	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहाबाद जिला बारां

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को दिनांक 27.8.2010 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथपत्र एवं दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होगें। इस तिथि के पश्चात् नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेंगा । आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा । किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे ।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तो को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

कमांकः–ई–33/रेडियो/एम–59/10/1465 दिनांकः– 27-7-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज0जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
3– उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर ।
4– निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/प0क0 मुख्यालय ।
5– वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
6– संयुक्त निदेशक योजना मुख्यालय ।
7– समस्त संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं जोन
8– समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि जिन अभ्यर्थियों का आपके अधीन सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उनका पदस्थापन तत्काल प्रभाव से कर दिया जावे । किसी भी परिस्थिति में कोई सहायक रेडियोग्राफर अनुपयोगी ना रहे यह सुनिश्चित किया जावे । आपके जिले में पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र भिजवाये जा रहे है। आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल

शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लेवें। यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करें । इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे । इस प्रकिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

9– श्री/श्रीमती/सुश्री.................................को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ ।

10– प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।

11–आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर